

पत्रांक: /आयु०क०उत्तरा०/विधि—अनुभाग/देहरादून/09—10।

कार्यालय आयुक्त कर, उत्तराखण्ड।

(विधि—अनुभाग)

दिनांक: देहरादून: 29 अक्टूबर, 09

०३ नवंबर २००९

समस्त डिप्टी कमिश्नर (क०नि०) वाणिज्य कर
समस्त असिस्टेंट कमिश्नर, वाणिज्य कर
समस्त वाणिज्य कर अधिकारी,

शासन के पत्र सं०—८४०/२००९/१४९(१२०)/XXVII(8)/२००६ दिनांक 29 अक्टूबर, 2009 का सन्दर्भ लें, जिसके द्वारा अनुसूची—I के क्रमांक 42 तथा अनुसूची—II (ख) के क्रमांक 27 पर अंकित पेस्टीसाइड के सम्बन्ध में स्पष्टीकरण प्रेषित किया गया है।

अतः शासन के उपरोक्त पत्र की छाया प्रति संलग्न कर इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि शासन के दिये गये निर्देशानुसार कार्यवाही करना/करवाना सुनिश्चित करें।
संलग्न—उपरोक्तानुसार।

(एल०एम०पन्त)

आयुक्त कर,

उत्तराखण्ड।

पृ०प०सं० ३२२/ /दिनांक उक्त।

प्रतिलिपि:—निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1—प्रमुख सचिव, वित्त उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।

2—महालेखाकार, उत्तराखण्ड वैभव पैलेस इन्ड्रानगर, देहरादून।

3—अध्यक्ष/सदस्य वाणिज्य कर अधिकरण देहरादून/हल्द्वानी।

4—एडिशनल कमिश्नर, वाणिज्य कर गढ़वाल जोन देहरादून/कुमाऊँ जोन, रुद्रपुर।

5—एडिशनल कमिश्नर, (आडिट)/(प्रवर्तन) वाणिज्य कर मुख्यालय, देहरादून।

6—समस्त ज्वांइट कमिश्नर (कार्य०) वाणिज्य कर देहरादून/हरिद्वार/ काशीपुर/ हल्द्वानी को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि वे उक्त परिपत्र की अतिरिक्त प्रतियां कराकर अपने अधीनस्थ समस्त अधिकारियों/बार एसोसिएशन के पदाधिकारियों/व्यापारी संगठनों के अध्यक्ष/सचिव को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

7—ज्वांइट कमिश्नर (अपील) वाणिज्य कर, देहरादून/हल्द्वानी।

8—ज्वांइट कमिश्नर(वि०अनु०शा०/प्र०) वाणिज्य कर हरिद्वार/रुद्रपुर।

9—वरिष्ठ तकनीकी निदेशक, एन०आई०सी० सचिवालय परिसर देहरादून को इस आशय से प्रेषित कि वे उक्त परिपत्र को वाणिज्य कर विभाग की वेवसाइट पर प्रसारित करने का कष्ट करें।

- 10—श्री राकेश वर्मा, महासचिव, उत्तराखण्ड वाणिज्य कर सेवा संघ 225 आर्शीवाद इन्क्लैव देहरादून।
- 11—पोर्टल प्रबन्धक उत्तरा पोर्टल जी0ओ0यू० परियोजना कार्यालय आई0आई0टी० रुड़की।
- 12—संख्या—अनुभाग को इस निर्देश के साथ कि उक्त परिपत्र स्कैन कर व्यापार प्रतिनिधियों/अधिकत्ताओं को ई—मेल द्वारा प्रेषित कर दे।
- 13—इन्टावैट ईन्फो प्रा०लि० 4, फेयरी मेनर द्वितीय फ्लोर 13, आर० सिधुआ मार्ग मुम्बई—400001।
- 14—नेशनल लॉ हाउस बी—2 मॉर्डन प्लाजा बिल्डिंग अम्बेडकर रोड गाजियाबाद।
- 15—नेशनल लॉ एण्ड मैनेजमेन्ट हाउस—15/5 राजनगर गाजियाबाद।
- 16—लॉ पब्लिकेशन व्यापार कर भवन, कलेक्ट्रेट कम्पाउण्ड राजनगर, गाजियाबाद।
- 17—डिप्टी कमिशनर (उ०न्याय०कार्य०) वाणिज्य कर नैनीताल।
- 18—दी होलसेल डीलर्स एसो० 14, आढ़त बाजार, देहरादून।
- 19—प्रांतीय इण्डस्ट्रीज एसो० 222/5 गांधी ग्राम, देहरादून।
- 20—कार्यालय अधीक्षक की केन्द्रीय गार्ड फाइल हेतु।
- 21—विधि—अनुभाग की गार्ड फाइल हेतु।

3/11/2009
आयुक्त कर,
उत्तराखण्ड।

प्रेषक,

एल०एम०पन्त,
सचिव वित्त,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

✓ आयुक्त कर,
उत्तराखण्ड।

विभाग : वित्त (अनुभाग-८)
महोदय,

दिनांक : देहरादून : २१ अक्टूबर, २००९

कृपया अपने कार्यालय के पत्र संख्या- 2873/आय०करउत्तरा०/विधि-
अनु०/०९-१०/देहरादून दिनांक ०८-१०-२००९ का सन्दर्भ ग्रहण करें जिसके द्वारा मूल्य
वर्धित कर अधिनियम के अन्तर्गत अनुसूची-। के क्रमांक ४२ तथा अनुसूची-॥(B) के क्रमांक
२७ पर अंकित "पेस्टीसाइड" (Pesticides) पर करदेयता के सम्बन्ध में स्थिति स्पष्ट किये
जाने की अपेक्षा की गयी है। उक्त के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि पूर्व में अनुसूची-।
के क्रमांक ४२ एवं अनुसूची-॥(B) के क्रमांक २७ पर अंकित पेस्टीसाइड पर करदेयता एवं
उसकी किस्म को स्पष्ट करने के उद्देश्य से ही आयुक्त कर के पत्र संख्या ९७३ दिनांक
३०-०६-२००६ से किये गये अनुरोध को ध्यान में रखते हुए शासन द्वारा विज्ञाप्ति संख्या
२३७/xxvii(8)/वाणिज्य कर(वैट) /२००६ दिनांक ०३-०५-२००७ द्वारा निम्नानुसार संशोधन
किया गया है—

Schedule I

(a) For the existing entry at serial no. 42 the following entry shall be substituted-

42. Organic manure, Bio-fertilizers, Bio-micronutrients and plant growth promoters/regulators and their herbicides, rodenticides, insecticides, weedicides and pesticides.

Schedule II(B)

For the existing entry at Sl. No. 27 the following entry shall be substituted-
27 Chemical fertilizers, Micronutrients and plant growth promoters/ regulators,
and their herbicides, rodenticides, insecticides, weeedicides and pesticides.

उक्त संशोधनों में पेस्टीसाइड की किस्म के सम्बन्ध में जोड़े गये वाक्यांश "and
their" ("और उनके") से स्वतः स्पष्ट हो जाता है कि ऑर्गेनिक एवं बायो पेस्टीसाइड
(Organic and Bio Pesticides) करमुक्त है तथा रासायनिक पेस्टीसाइड (Chemical
Pesticides) कर योग्य है।

भवदीय,
(एल०एम०पन्त) २१/१०/२००९
सचिव, वित्त।

6/३/०
३०-१०-०९

Vividh Parva/Commissiner ko Presit/DT

अपर आयुक्त कर
उत्तराखण्ड देहरादून

